

लोक-सुनवाई का वृत्त

मेसर्स संजय कुमार, प्रस्तावक, श्री संजय कुमार, पिता—श्री अविनाश कुमार, पता—एस०बी०डी० स्कूल के पास, हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना के द्वारा बरनार नदी ब्लॉक-14 बालू घाट, मौजा—जोगाझिंगुल, प्रखंड—गिर्दौर, जिला—जमुई में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक-सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०— एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में दिनांक 17.08.2023 को पूर्वाहन 11:00 बजे प्रखंड सभागार गिर्दौर, जिला—जमुई के प्रांगण में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना सं०— एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी०ओ०आर० (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या— SIA/1(a)/2271/2023, दिनांक 03.02.2023 के आलोक में रामदुलार राम, अपर समाहर्ता—सह—जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

प्रसंगाधीन लोक-सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा—“दैनिक जागरण” एवं “दैनिक भास्कर”, भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक 15.07.2023 को प्रकाशित की गयी है अतिलिपि संलग्न। लोक सुनवाई के दौरान एस० एन० झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक-सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राजेश कुमार विश्वास ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि—

1. यह बालू खनन पट्टा बरनार नदी ब्लॉक-14 बालू घाट, मौजा—जोगाझिंगुल, प्रखंड—गिर्दौर, जिला—जमुई में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री संजय कुमार को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक-14 में 32.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 407550 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹1497.62 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक संख्या—14 को सम्मिलित किया गया है।
2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर “वैज्ञानिक विधि” तथा अनुमोदित “खनन योजना” के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाएं गए हैं।

४२

✓


3. खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनन कार्य अर्द्ध-मशीनीकरण व्यवस्था के साथ किया जायेगा जिसमें यांत्रिक उपकरणों के साथ मानव संसाधन का भी उपयोग किया जायेगा। बरसात एवं बाढ़ की अवधि में खनन नहीं किया जायेगा। जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। केवल सूखे स्थल पर ही खनन की कारबाई की जायेगी।
4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में ओवर-लोडिंग नहीं किया जायेगा। इस मार्ग के रख-रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे- मार्ग, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाइल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दबाव वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर बहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना खनिज में उपलब्ध नभी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा। खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय-समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।


परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत हैं—

क्रमांक	प्रतिक्रिया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री गोपाल कुमार, गिर्द्दौर, जमुई के द्वारा बालू लदे गाड़ियों के परिवहन से धूलकण उड़ने की समस्या के निदान की जानाकरी मांगी गई।	गाड़ियों के आवागमन में उपयोग होने वाले सड़कों पर दिन में 2 बार जल का छिड़काव किया जायेगा। गाड़ियों को तारपोलिन शीट से ढककर ले जाया जायेगा तथा ओवरलोडिंग नहीं किया जायेगा। सड़क के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण किया जायेगा।
2.	श्री बीरेन्द्र रजक, गिर्द्दौर, जमुई के द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर के बारे में पुछा गया।	प्रस्तावित परियोजना में 29 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे जिसमें स्थानीय लोगों को उनके योग्यता के आधार पर प्राथमिकता दिया जायेगा।
3.	श्रीमती लालो देवी, कुमरडीह, जमुई के द्वारा पेयजल की व्यवस्था एवं स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर के बारे में पुछा गया।	प्रस्तावित परियोजना में 29 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे जिसमें स्थानीय लोगों को उनके योग्यता के आधार पर प्राथमिकता दिया जायेगा साथ ही परियोजना क्षेत्र के आस-पास पेयजल की आपूर्ति के लिए सार्वजनिक जगहों पर हैंडपंप की व्यवस्था की जायेगी।
4.	श्री सुजीत कुमार, सेवा, जमुई के द्वारा बालू लदे गाड़ियों के परिवहन से विद्यालय के छात्रों को आने-जाने में परेशानी से निदान के उपाय के बारे में पुछा गया।	गाड़ियों के परिचालन में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि विद्यालय खुलने एवं बंद होने के समय गाड़ियों का परिवहन बंद रखा जाय। बाहनों का परिचालन गांवों से बाहर की सड़कों से किया जायेगा।
5.	श्री दीपक कुमार साव, सेवा, जमुई के द्वारा रोजगार के अवसर के बारे में पुछा गया।	प्रस्तावित परियोजना में 29 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे जिसमें स्थानीय लोगों को उनके योग्यता के आधार पर प्राथमिकता दिया जायेगा।

लोक-सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता-सह-सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू का संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्यधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसका नियमानुसार उपयोग करने से स्थानीय एवं राज्य स्तर को भी आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण हेतु उपाय सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित जनता को सुनवाई में शामिल होकर अपने सुझाव एवं शिकायत से अवगत कराने के लिए आभार व्यक्त किया गया तथा बताया गया कि प्राप्त सुझाव एवं प्रश्न प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण हैं। इनसे प्रत्यावित परियोजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने में मदद मिलेगी। बैठक में उपस्थित जनता

से प्राप्त सुझाव/शिकायत से, उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जायेगा, जिससे प्रस्तावित परियोजना विधिसम्मत तरीके से चल सके तथा ग्रामीणों को इस परियोजना का समुचित लाभ प्राप्त हो।
लोक-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।
तत्पश्चात् लोक-सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।


क्षेत्रीय पदाधिकारी
बिहार प्र० नि० पर्षद,
भागलपुर।


अपर समाहर्ता
जमुई।

उपस्थिति सूची

मेसर्सं संजय कुमार, श्री संजय कुमार, पिता-श्री अविनाश कुमार, पता-काली मंदिर रोड, S.B.D. स्कूल के पास, हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना द्वारा बरनार नदी ब्लॉक-14 बालू घाट, मौजा-जोगाइंगुल, ब्लॉक-गिर्धौर, जिला-जमुई का बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 17.08.2023 को पूर्वाहन् 11:00 बजे लोक सुनवाई का स्थल: प्रखंड सभागार गिर्धौर, जिला- जमुई में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Ram Kulal Ram	Adon P.S.U Cen BSPCB Jamui	17/8/23
2.	Sambhu Nath Ji	Regional Officer Bhagalpur Bihar State Poll Control Board	Shankar 17-8-2023
3.	Harish Kumar	Lokayan 27/8/23	17/8/2023
4.	Shriya	Munis inspection Jamui	17/8/2023
5.	Ahush Kumar	Asst Scientific Officer BSPCB, Bhagalpur	17/8/2023
6.	Rajesh Kumar Vithwani	Environment consultant (P&M Solution)	Rajesh
7.	Suraj Kulkarni Gomberdak	Kileminder	Suraj Gomberdak
8.	विजय कुमार भाट	पटना - मीरा	विजय कुमार भाट
9.	प्रभाल मुख्या	पटना - मीरा	प्रभाल मुख्या
10.	विरेन्द्र लालमा	जगद्धाता मुहिमा पट-पटौर	विरेन्द्र लालमा

11.	ଓঁ বিনোদ	বিনোদ	৩৪১৮৫১
12.	Ritik Kumar	gangra	Ritik Kumar
13.	মুক্তি পাল	মুক্তি	মুক্তি পাল
14.	বেনু চৌধুরী	বেনু	বেনু চৌধুরী
15.	ওমেশ পল	ওমেশ	ওমেশ পল
16.	মুক্তি ২১১৯	মুক্তি	মুক্তি ২১১৯
17.	সুজলা কুমার	সুজলা	সুজলা কুমার
18.	মুক্তি কুমার	মুক্তি	মুক্তি কুমার
19.	মুক্তি কুমার ২১১৬	মুক্তি	মুক্তি কুমার ২১১৬
20.	মুক্তি কুমার	মুক্তি	মুক্তি কুমার
21.	মুক্তি পাল	মুক্তি	মুক্তি পাল
22.	মুক্তি আল	মুক্তি	মুক্তি আল
23.	মুক্তি কুমার	কুমার	মুক্তি কুমার
24.	মুক্তি পাল	মুক্তি	মুক্তি পাল
25.	মুক্তি পাল	মুক্তি	মুক্তি পাল

26.	ନୀର୍ମି	ନୀର୍ମି	ନୀର୍ମି
27.	କାନ୍ଦିଲେଖିବା	କାନ୍ଦିଲେଖିବା	କାନ୍ଦିଲେଖିବା
28.	ପରାମା କୁଟୀ	ପରାମା କୁଟୀ	ପରାମା କୁଟୀ
29.	Hananjay	Jamui	Jamui
30.	Yonigat କୁଟୀ	କୁଟୀ	Yonigat କୁଟୀ
31.	Altantogz	କୁଟୀ	କୁଟୀ
32.	କୁଟୀ ବିଜ୍ଞାନ	କୁଟୀ	କୁଟୀ
33.	Md. Shamim	BSPCB, Patha	Slim
34.	Pawan Komay	RAMAKRISHNA	Pawan Komay
35.	Dinesh Kumar	RAMAKRISHNA	Dinesh Kumar
36.	Gopal Kumar	GIDHAWAR	Gopal
37.	ଶ୍ରୀରାଧାର ମାଣୀ	ଶ୍ରୀରାଧାର	ଶ୍ରୀରାଧାର ମାଣୀ
38.	ଅଧିକାରୀ ମାନୀ	ଅଧିକାରୀ	ଅଧିକାରୀ ମାନୀ
39.			
40.			